न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 177/17 **सन् 2017**

आरसीएमएस संख्या 2017/00186

बउनवानीः— सतीश श्रीवास्तव पुत्र श्री मुक्तिनाथ श्रीवास्तव निवासी स्टेटवेयर हाउस के पास जटवाडा खुर्द मानटान तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 872/2017 निर्णय दिनांक 14.11.2017 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :— 1. श्री राधेश्याम योगी वकील अपीलान्ट

2. श्री महावीर चौधरी पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— **दिनांक 31.7.2019**

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 872/2017 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त को 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख व मौका रिपोर्ट अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2074 में वाके ग्राम जटवाडा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर की चाही—3 सिवायचक भूमि आराजी ख0न0 436 रकबा 0.15 है0 बाड लागकर, चद्दरपोश 2 कमरे बनाकर तथा एक बिना छत का कमरा बनाकर अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील में पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है जबकि मामलें में वास्तविकता यह है कि ख0न0 436 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द की यह भूमि नगर परिषद क्षेत्र सवाईमाधोपुर में स्थित होने धारा 91 की कार्यवाही करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है। यह तर्क भी दिया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का 40 वर्षो से अधिक पुराना कब्जा होने एवं अपीलान्ट भूतपूर्व सैनिक होने के कारण कानून अपीलान्ट के नाम रेगूलाईज होना चाहिए किन्तु तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा रेगूलाईज करने के बजाय भूमि से बेदखली व सजा का गैर कानूनी आदेश पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट को प्राप्त नोटिस मे सुनवायी हेतु 26.10.2017 तारीख नियत थी किन्तु निर्णय दिनांक 14.10.2017 को ही पारित कर दिया जिसके कारण अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्राप्त नही हुआ है। यह कथन भी किया कि अपीलान्ट को बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्ट अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिसके आधार पर अपीलान्ट को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नही माना जा सकता है क्योंकि इसमें अपीलान्ट को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.11.2017 को तहसील मे जाने पर प्राप्त होने पर जानकारी के अनुसार नकल प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र तहसील में प्रस्तुत किया गया व नकल प्राप्त होने पर मुझ अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा–5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरवायी जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट की व्यक्तिशः से करवायी गई तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 31.10.2017 को जवाब नोटिस पेश कर साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु 7.11.2017 व 14.11.2017 का समय दिया जाकर प्रकरण का दिनांक 14.11.2017 को विधिवत निर्णय पारित किया है। केवल लिपिकीय त्रृटि से निर्णय दिनांक 14.10.2017 अंकित हो जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत निर्णय नही बदला जा सकता है। जहॉ तक उक्त भूमि यू.आई.टी. क्षेत्र की होने के कारण तहसीलदार को धारा 91 की कार्यवाही करने का अधिकार नही होने का प्रश्न है तो उक्त समय यू.आई.टी तहसीलदार का चार्ज तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पास होने के कारण उक्तानुसार कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार सवाईमाधोपुर को होन के कारण ही आदेश जैर अपील पारित किया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूॅचता हूॅ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट द्वारा नियत दिनांक 26.10.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब नोटिस एवं साक्ष्य सबूत हेतु समय चाहने बाबत समय लिये जाने व अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर किये गये हस्ताक्षर से हो जाती है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2017 को निर्णय होना बताया गया है जो केवल लिपिकीय त्रुटिवश गलत दिनांक अंकित हुई है मुताबिक आदेशिका वास्तविक निर्णय दिनांक 14.11.2017 को पारित हुअ है। चूंकि तत्समय यू.आई.टी का चार्ज तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पास होने के कारण धारा 91 की कार्यवाही करने के लिए सक्षम था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सवाईमाधोपुर से तलब की गयी मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा वर्तमान में भी यथावत है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूॅ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 16:50:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: